

पुछताछ संख्या: प्रशासन/सामान्य/06/2021. एम्स. जेडीएच

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर

में स्टाम्प, स्टाम्प रिफ्लिग व लकड़ी की नेम प्लेट के कार्य हेतु

वार्षिक दर कोटेशन द्वारा आमंत्रण

पुछताछ संख्या : प्रशासन/सामान्य/06/2021. एम्स. जेडीएच
पुछताछ जारी करने की तिथि : 26 अगस्त, 2021
जमा करने की अंतिम तिथि : 01 सितंबर 2021 अपराह्न 03.00 बजे ।



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर

बासनी फेज - II, जोधपुर -342005, राजस्थान

टेलीफैक्स :0291-2740741, ईमेल: procurement@aiimsjodhpur

www.aiimsjodhpur.edu.in

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर

में स्टाम्प, स्टाम्प रिफलिग व लकड़ी की नेम प्लेट के कार्य हेतु

वार्षिक दर कोटेशन द्वारा आमंत्रण

निदेशक, एम्स जोधपुर की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुहरबंद वार्षिक दर के लिए कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। स्टाम्प बनाने व स्टाम्प रिफलिग व लकड़ी की नेमप्लेट के कार्य के लिए नियम एवं शर्तों एम्स जोधपुर द्वारा निम्नलिखित रखी गई हैं। सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण रूप से भरे हुए वार्षिक दरें कोटेशन द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 01.09.2021 को अपराह्न 03.00 बजे या उससे पहले जमा हो जाने चाहिए। कोटेशन को उचित लिफाफों में सीलबंद कर उसके ऊपर निम्नानुसार लिखा जाए—“ स्टाम्प बनाने व स्टाम्प रिफलिग, लकड़ी की नेम प्लेट के लिए वार्षिक दरों के लिए कोटेशन ”

पुछताछ संख्या: प्रशासन/सामान्य/06/2021. एम्स. जेडीएच 01.09.2021 को अपराह्न 03.00 बजे

1. नियम और शर्तें:-

- (क) निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले कोटेशनों पर किसी भी तरह का विचार नहीं किया जायेगा चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी रही हो। डाक या किसी भी प्रकार का विलंब के मामले में संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा तथा किसी भी प्रकार के फैंक्स / ईमेल पर विचार नहीं किया जायेगा। कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।
- (ख) कोटेशन फर्म के लेटर हेड पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में स्वामित्व/निदेशक हस्ताक्षरित होने चाहिए। सहभागी मामलों में निदेशक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कोटेशन पर विधिवत हस्ताक्षर करने का प्रधिकरण पत्र होना चाहिए। पूर्णरूप से भरे हुए कोटेशन निर्धारित कोटेशन बॉक्स में जो कि एम्स के प्रशासनिक कार्यालय में स्थित हैं वहा छोड़ा जाना अनिवार्य हैं।
- (ग) स्टाम्प बनाने व स्टाम्प रिफलिग व लकड़ी की नेमप्लेट की दरों को भारतीय रुपये में कर सहित उद्धृत किया जाए तथा किसी भी प्रकार का निर्दिष्ट करों के अतिरिक्त कोई कर हो तो अलग से लिखा जाए।
- (घ) स्टाम्प बनाने व स्टाम्प रिफलिग व लकड़ी की नेमप्लेट की दरों को माल भाडा शुल्क, बीमा, स्थापना(स्टेशनरी स्टोर तक पहुँचाना) आदि सहित उद्धृत किया जाए।
- (ङ) स्टाम्प बनाने व स्टाम्प रिफलिग व लकड़ी की नेमप्लेट की दरों में किसी प्रकार की ओवरराइटिंग या कॉट-छॉट(कटिंग) की अनुमति नहीं होगी। यदि पाया जाता है तो कोटेशन को रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का विचार नहीं होगा।
- (च) स्टाम्प बनाने व स्टाम्प रिफलिग व लकड़ी की नेमप्लेट के कोटेशन खोलने की तारीख से 60 दिनों के लिए वैध होनी चाहिए। इस मुद्दे पर किसी भी निविदा के उद्घरण और चुप्पी को इसके साथ सहमति के रूप में माना जाएगा।
- (छ) एल-1 बनना किसी भी आपूर्ति आदेश पाने का मानदंड नहीं होगा जब तक दरें वाजिब(रिजनेबल) तथा उचित(जस्टीफाइड) न हो।
- (ज) आपूर्तिकर्ता/फर्म/एजेंसी को आटीजीएस/एनईएफटी का विवरण आपूर्तिकता के लेटर हेड पर उद्घरण के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक/अनिवार्य हैं।
- (झ) फर्म/एजेंसी को निम्नलिखित शर्तें पूरा करने का स्व-सत्यापित प्रति उद्घरण के साथ संलग्न प्रस्तुत करना है—
 - :- फर्म/एजेंसी राजस्थान सरकार/भारत सरकार के साथ पंजीकृत होना।
 - :- फर्म/एजेंसी के पास वैध जीएसटी/अन्य कर और पैन कार्ड का होना।
 - :- फर्म/एजेंसी को किसी भी सरकार ब्लैक लिस्टेड(अवैध) नहीं किया गया।

पुछताछ संख्या: प्रशासन/सामान्य/06/2021. एम्स. जेडीएच

- (ज) अस्पष्ट और अनिश्चित अभिव्यक्तियों द्वारा योग्य उद्घरण जैसे " पूर्व के अधीन" पुष्टिकरण" तत्काल स्वीकृति के अधीन" आदि को अस्पष्ट प्रस्तावों के रूप में माना जायेगा तथा कोटेशन को खारिज कर दिया जायेगा। किसी भी सशर्त को तुरन्त प्रभाव से खारिज कर दिया जायेगा।
- (ट) स्टाम्प व स्टाम्प रिफलिग, लकड़ी की नेमप्लेट वस्तुओं की आपूर्ति आदेश के 7 दिन के अन्दर आपूर्ति करना अनिवार्य।
- (ठ) परिसमापन क्षति:— यदि आपूर्तिकर्ता निर्धारित समय में आपूर्ति करने में विफल रहता है तो प्रतिदिन 0.5 प्रतिशत की दर से या आपूर्ति आदेश मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया जायेगा।
- (ड) भुगतान शर्त :- संतोषजनक आपूर्ति के बाद एम्स जोधपुर द्वारा निरीक्षण करने के बाद भुगतान किया जायेगा।
- (ढ) विवाद :- फर्म/एजेंसी के ठेकेदारों और एम्स जोधपुर या एम्स का कोई विभाग के बीच किसी भी प्रकार का विवाद याशर्तों की व्याख्या के संबंध में असहमति उत्पन्न होने की स्थिति में जाँच निदेशक एम्स जोधपुर को संदर्भित की जाएगी। एम्स जोधपुर का निर्णय फर्म/एजेंसी के ठेकेदारों के लिए बाध्यकारी होगा।
- (ण) एम्स जोधपुर किसी भी उद्घरण या भाग या संपूर्ण आमंत्रण बिना कोई कारण बताए कोटेशन प्रक्रिया अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

2. नियम और शर्त :-

1. बोलीदाता को अनुबंध 1 में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का उद्घरण देना होगा।
2. आपूर्तिकर्ता को स्टाम्प बनाने व स्टाम्प रिफलिग व लकड़ी की नेमप्लेट वस्तुओं के नमूनों को कोटेशन डालने के साथ प्रशासनिक खण्ड के तृतीय तल पर स्थित भण्डार कक्ष में जमा कराने होंगे नमूनों के जमा नहीं कराने की स्थिति में कोटेशन को निरस्त माना जायेगा। तथा नमूनों के प्रदर्शन पर होने वाला खर्च आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।
3. आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत दर एक वर्ष के लिए मानी जायेगी। जिसमें संस्थान द्वारा आवश्यकता के अनुरूप प्रस्तुत दर के अनुसार कार्य करवाया जा सकता है।
4. आपूर्तिकर्ता को केवल कार्य की दर प्रस्तुत करनी है। कार्य का निष्पादन संस्थान द्वारा आवश्यकता के अनुसार वर्ष में कभी भी करवाया जा सकता है। जिसमें आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य के निष्पादन हेतु संस्थान को बाध्य नहीं कर सकता ।
5. स्टाम्प बनाने व स्टाम्प रिफलिग व लकड़ी की नेमप्लेट बनाने के कार्य की दरे आपूर्तिकर्ता को कार्याआदेश जारी करने के 1 वर्ष के लिये लागू होगा। जिसमें समय-समय पर कार्य का निष्पादन करवाया जा सकेगा। कार्य की संख्या अनुमानित है जिसमें संस्थान द्वारा दिये गये कार्याआदेश को आपूर्तिकर्ता मानने को बाध्य रहेगा।
6. आपूर्तिकर्ता को यह भी सूनिश्चित करना होगा कि उक्त दरों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा । जो दर प्रस्तुत की है उसमें वर्ष भर कार्य करने हेतु बाध्य रहेगा। तथा संस्थान द्वारा जब चाहे आपूर्ति आदेश को निरस्त कर सकता है। इसमें आपूर्तिकर्ता का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

उप-निदेशक(प्रशासन)

संलग्न:- अनुलग्न: 1. विनिर्देश अनुबंध
2. मूल्य बोली का प्रारूप

पुछताछ संख्या: प्रशासन/सामान्य/06/2021. एम्स. जेडीएच

अनुलग्न: 1. विनिर्देश अनुबंध

क्र. सं.	सामान का विवरण	मापन ईकाई	मात्रा अनुमानित	विशेष विवरण
1	स्टाम्प	Nos.	150	Sun Stamper
2	स्टाम्प रिफलिग	Nos	200	
3	लकड़ी की नेम प्लेट	Nos	100	As per Sample

नोट:- आपूर्तिकर्ता को स्टाम्प व स्टाम्प रिफलि, लकड़ी की नेमप्लेट वस्तुओं के नमूनों को प्रशासनिक खण्ड के तृतीय तल पर स्थित भण्डार कक्ष में जमा कराने होंगे हैं। प्रदर्शन पर होने वाला खर्च आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

फर्म के लेटर हेड पर

अनुलग्न: 2
मूल्य बोली प्रपत्र

सेवामें,

श्री मान उप-निदेशक (प्रशासन)

एम्स जोधपुर।

मान्यवर जी,

1. मैंने/हमने..... स्टाम्प बनाने व स्टाम्प रिफिलिंग व लकड़ी की नेमप्लेट वस्तुओं के लिए कोटेशन का आमंत्रण के लिए उद्घरण प्रस्तुत किया। पूछताछ संख्या स्टाम्प बनाने व स्टाम्प रिफिलिंग व लकड़ी की नेमप्लेट वस्तुओं के लिए कोटेशन का आमंत्रण प्रशासन /सामान्य/06/2021.एम्स.जेडीएच जमा करने की अंतिम तिथि 01 सितंबर 2021 अपराह्न 03.00 बजे प्रस्तुत किया।
2. मैंने/हमने स्टाम्प बनाने व स्टाम्प रिफिलिंग व लकड़ी की नेमप्लेट वस्तुओं के लिए कोटेशन का आमंत्रण के नियमों और शर्तों की पूरी जांच करके समझा/स्वीकार कर लिया है तथा दस्तावेजों के अभाव में मेरा उद्घरण अस्वीकार कर दिया जाए।
3. मैं/हमारे द्वारा निम्नलिखित दरों पर आपूर्ति करने की पेशकश करते हैं।

क्र. सं.	सामान का विवरण	मापन की ईकाई	मात्रा	दर बिना जीएसटी	जीएसटी कर	अन्य कर	जीएसटी सहित दर	कुल राशि	एमआरपी
1	Stamp F type 22*50 mm	pcs	01						
2	Stamp A type 23*63 mm	pcs	01						
3	Stamp E type 12*45 mm	pcs	01						
4	Stamp X type 32*67mm	pcs	01						
5	Stamp B type 17*59mm	pcs	01						
6	Stamp H type 23*74mm	pcs	01						
7	Stamp V type 48*78mm	pcs	01						
8	Stamp T type 60*90mm	pcs	01						
9	Stamp PSA 20*60mm	pcs	01						
10	Stamp C type 16*32mm	pcs	01						
11	Stamp Y type 33*52 mm	pcs	01						
12	Stamp S type 50*50 mm	pcs	01						
13	Stamp J type 20*20 mm	pcs	01						
14	Stamp R type 30*30 mm	pcs	01						
15	Stamp K type 15*15 mm	pcs	01						
16	Stamp PSR 30*30 mm	pcs	01						
17	Stamp PSQ 40*40mm	pcs	01						
18	Stamp Q type 40*40 mm	pcs	01						
19	Stamp Refilling	pcs	01						
20	Wooden Name Plate	No	01						

पुछताछ संख्या: प्रशासन/सामान्य/06/2021. एम्स. जेडीएच

नोट:- बोलीदाता को फर्म के पत्र पर उपरोक्त प्रारूप में की अपना कोटेशन उद्धृत करना है अन्यथा कोटेशन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

बोलीदाता को उक्त स्टाम्पों की दरें क्र.स संख्या 01 से 18 तक तथा अंकित साईजों की रिफलिग की दरें क्र.स संख्या 19 प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित रहे कि उक्त 18 तरह की स्टाम्पों में से किसी भी प्रकार की स्टाम्प की आपूर्ति का आदेश दिया जा सकता है। और किसी कारणवश वर्ष भर आपूर्ति आदेश नहीं देना भी संस्थान के पक्ष में रहेगा। बोलीदाता द्वारा किसी प्रकार आपूर्ति हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता।

यह है कि बोली दाता उक्त तीनों कार्य स्टाम्प बनाने व रिफलिग करने व नेमप्लेट आदि का कार्य की दर वर्ष भर के लिये प्रस्तुत करनी है जो कि आपूर्ति हेतु आदेश जारी होने के 1 वर्ष तक लागू रहेगी। एवम संस्थान द्वारा समय से पूर्व निरस्त करा जा सकता है। जिसमें आपूर्तिकर्ता को किसी भी प्रकार की आपत्ति ना हो।

दिनांक.....नाम.....

स्थान.....

फर्म/एजेसी का नाम.....

जीएसटीआईएन नंबर.....

बैंक का नाम.....

बैंक खाता नम्बर.....

आईएफएससी कोड.....

शाखा का नाम.....

फोन नंबर.....

ईमेल.....

(अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

सील(स्टाम्प).....